न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाडा(राज)
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत आर.ए.एस
मुकदमा नम्बरः–16/2018 वाद पत्र

उनवान

1–भैरूसिंह आत्मज प्रतापसिंह राजपुत निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज) **वादी**

बनाम

1–मु० प्रेमकवंर पत्नि पाबुसिंह राजपुत निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज)
2–बंशीलाल आत्मज घीसा खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज)
3–लादीदेवी पत्नि मिश्रीलाल लुहार निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज)
3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा (राज)
प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1–ललित सुराणा–
अधिवक्ता वादी

दिनांकः–11.05.2018

निर्णय

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प भीटा में पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भटेवर पटवार हल्का सरेवडी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत तीन के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 449 रकबा 4.46 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 118 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत 2070 से 2073 तक मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है। वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में अकिंत आरातियात में वादी का 1/2 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या एक का 15/266 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या दो का 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या तीन का 162/665 हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत तीन अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत तीन के मध्य वाद पत्र की कलम नम्बर एक में अंकित आराजियात का राजस्व खाता आपस में सामलाती दर्ज रेकार्ड रहने से वादी को लगान जमा कराने, अपने हिस्से की भूमि को उपजाऊ बनाने, विकसित करने, ऋण आदि की सुविधा प्राप्त करने में भारी अडचन पैदा रहती है। जिससे वादी वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में अंकित आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बॉण्डस के आधार पर विधिवत रूप से विभाजन करवा अपने निहित 1/2 हिस्से का स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खुलवाना चाहता है। इस हेतु यह विभाजन का वाद प्रस्तुत कर रहा है। प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत तीन वादग्रस्त आराजियात के सह खातेदार होने से एवं प्रतिवादीगण संख्या चार लैण्ड हॉल्डर होने से आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें प्रतिवादीगण बनाये गये हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात का विधिवत रूप से विभाजन करवा राजस्व खाते अलग–अलग दर्ज करवाने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे। वादी ने प्रतिवादीगण को अंतिम बार दिनांक 19.02.2018 को कहा लेकिन प्रतिवादीगण विभाजन से इन्कार हो गया। जिससे वादी को वाद हेतु विवश होना पडा है। बिनाय वाद दिनांक 19.02.2018 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह वाद पत्र अन्दर अवधि सादर प्रस्तुत है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 17.4.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादीगण उपस्थित है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा के अुनसार वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी प्रेमकंवर का 15/266 हिस्सा प्रतिवादी बंशीलाल का 1/5 का

हिस्सा तथा प्रतिवादी लादीदेवी पत्नि मिश्रीलाल लुहार का 162/665 निहित है जिसका विभाजन आपसी सहमति से चाहते हैं।

उक्त राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम भटेवर पटवार हल्का सरेवडी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत तीन के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 449 रकबा 4.46 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 118 पर स्थित है। वादी का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 15/266 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 162/665 हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बॉण्डस के आधार पर स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव

आदेश

ग्राम भटेवर पटवार हल्का सरेवडी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत तीन के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 449 रकबा 4.46 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 118 पर स्थित है। वादी का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी 1 का 15/266 हिस्सा प्रतिवादी 2 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी 3 का 162/665 हिस्से का राजीनामा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बॉण्डस के आधार पर स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया जाता है। राजीनामा आदेश का भाग माना जाएगा।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा